

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 1423 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 30 / 12 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. अरविन्द सिंह पुत्र विश्राम सिंह तोमर, उम्र 28 वर्ष।

निवासी :- ग्राम नौनेरा, थाना :- मालनपुर, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 09 / 08 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी अरविन्द पर धारा 304 ए भा.द.सं एवं धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823, को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटकर मृतक कुलदीप सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, उक्त वाहन सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।

02. प्रकरण में आरोपी संतोष को निर्णय दिनांक 11/07/2016 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, वाहन स्कार्पियो कान्वेन्ट स्कूल की कमाण्डर गाड़ी का चालक अरविन्द उर्फ हउआ पुत्र विश्राम सिंह तोमर, निवासी :- ग्राम नौनेरा, द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उक्त वाहन को पलट देने से मृतक कुलदीप की मृत्यु उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट मृतक कुलदीप के चचेरे भाई फरियादी भूपेन्द्र द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर में की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन स्कार्पियो कान्वेन्ट स्कूल की कमाण्डर गाड़ी के चालक अरविन्द उर्फ हउआ पुत्र विश्राम सिंह तोमर, निवासी :- ग्राम नौनेरा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 137/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी अरविन्द को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा

बनाया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी भूपेन्द्र, साक्षीगण परमाल, नरेन्द्र एवं महिपाल सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी अरविन्द एवं संतोष के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं एवं धारा 03/181, 05/180, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त अरविन्द के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी अरविन्द ने दिनांक :- 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823, को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटकर मृतक कुलदीप सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना मे सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. अभियोजन साक्षीगण भूपेन्द्र अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक :

17/11/2016 से लगभग एक वर्ष पहले की रात्रि लगभग 11 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसके पिता ऑटो चलाते थे, जो घर वापस नहीं लौटे थे, इसलिए वह उनकी तलाश में स्कार्पियो कान्वेंट स्कूल गोहद चौराहा की कमाण्डर गाड़ी के चालक को ताउ के लड़के कुलदीप को साथ लेकर बाराहेट पेडा गोहद चौराहा तक गया था, उसके पिताजी नहीं मिले। बाराहेट से घर वापस पहुँचने की जल्दी में गाड़ी एक गड्ढे में फस गई और किनारे पर पलट गई, जिससे उसके ताउ के लड़के कुलदीप की दब जाने से चोट लगने से मृत्यु हो गई। साक्षी आगे कहता है कि उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन, शव पंचायतनामा एवं अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.03, प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल से एक पुरानी कमाण्डर गाड़ी जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपित अपराध के संबंध में भूपेन्द्र अ.सा.01 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी अरविन्द को नहीं पहचाना है। साक्षी भूपेन्द्र अ.सा.01 ने उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी अरविन्द का नाम लेखबद्ध कराया है, जबकि न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी अरविन्द के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। भूपेन्द्र अ.सा.01 ने आरोपित दुर्घटना में आरोपी अरविन्द द्वारा कमाण्डर वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाने का तथ्य भी दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, पुलिस कथन प्र.पी.07 एवं उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी अरविन्द की पहचान के संबंध में ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

09. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक रमेश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 06/08/2015 को उसने फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.01 की रिपोर्ट पर से आरोपी अरविन्द के विरुद्ध अपराध क्रमांक 137/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पजीबद्ध किया था, परन्तु फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी अरविन्द के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध कराये जाने के तथ्य से इन्कार किया है। इस प्रकार फरियादी भूपेन्द्र अ.सा.01 द्वारा आरोपी अरविन्द के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध कराई जाने के संबंध में भूपेन्द्र अ.सा.01 एवं रमेश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/08/2015 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाने के अपराध क्रमांक 137/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। दिनांक : 07/08/2015 को उसने फरियादी भूपेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षीगण के समक्ष एक पुरानी कमाण्डर गाड़ी जिस पर स्कार्पियों कान्वेंट स्कूल लिखा था, जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा फरियादी भूपेन्द्र, साक्षी परमाल, नरेन्द्र एवं महिपाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे और दिनांक : 18/09/2015 को आरोपी अरविन्द को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षीगण भूपेन्द्र, परमाल एवं नरेन्द्र ने उसे उनके पुलिस कथनों का ए से ए भाग नहीं बताया था, जबकि फरियादी भूपेन्द्र, साक्षी परमाल एवं नरेन्द्र ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उन्होंने उनके पुलिस कथनों क्रमशः प्र.पी. 07, प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं बताया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के पुलिस कथनों के ए से ए भाग के लेखबद्ध किये जाने के संबंध में उक्त साक्षीगण एवं विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.06 के तथ्यों के अनुसार कमाण्डर वाहन की जब्ती की कार्यवाही आरोपी से ना की जाकर घटनास्थल से लावारिश अवस्था में की गई है। सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने आरोपी अरविन्द को उक्त कमाण्डर वाहन बिना अनुज्ञप्ति, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाता हुआ पाया हो। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे पूर्व निर्णीत आरोपी संतोष से कमाण्डर वाहन के स्वामित्व के संबंध में कोई कागजात नहीं मिले थे और ना ही उक्त कमाण्डर वाहन पूर्व निर्णीत आरोपी संतोष सिंह के स्वामित्व के होने के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज संलग्न है। सुभाष पाण्डेय अ.सा. 05 का कहना है कि उसने वाहन पर स्कार्पियों कान्वेंट एवं मोबाइल नम्बर लिखा होने के आधार पर पूर्व निर्णीत आरोपी संतोष को उक्त जब्तशुदा कमाण्डर का स्वामी होना पाया था। यद्यपि सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 ने पूर्व निर्णीत आरोपी संतोष का कोई ऐसा मोबाइल नम्बर न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में

दर्शित नहीं किया जो उसने जब्तशुदा वाहन कमाण्डर पर लिखा हुआ पाया हो और मात्र किसी वाहन पर किसी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर लिखा होना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा दिया जाना उक्त मोबाइल नम्बर धारक के उक्त वाहन के स्वामी होने के तथ्य को दर्शित नहीं करता है, जब तक की उक्त वाहन के स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज उस मोबाइलधारक के नाम पर ना हो।

13. अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी द टना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी परिमाल अ.सा.02 एवं नरेन्द्र अ.सा.03 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

14. आरोपीगण तथा मृतक कुलदीप के पिता नरेन्द्र, चाचा परिमाल एवं चचेरे भाई भूपेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और साक्षीगण भूपेन्द्र अ.सा.01, परिमाल अ.सा.02 एवं नरेन्द्र अ.सा.03 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

15. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी अरविन्द ने दिनांक :- 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823, को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटकर मृतक कुलदीप सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, उक्त वाहन सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी अरविन्द के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं एवं धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी अरविन्द को धारा 304 ए भा.द.सं एवं धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त अरविन्द की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823 अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित किया जाये। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद